न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 30/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/30)

उनवानी प्रकरण :–

मेंडू पुत्र झण्डू जाति ठाकुर निवासी ग्राम कूकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

————————अपीलान्ट

बनाम्

1–तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–बाबूलाल पुत्र शिवचरन जाति जाटव निवासी ग्राम कूकरा माकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

————————रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. रा. अधिनियम
विरूद्व नामान्तकरण संख्या 33 बॉके ग्राम
खपरैला आदेश दि017.12.19 तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 1की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0।
रेस्पोडेण्ट सं0 2 की ओर से :–श्री राजेन्द्र सिंह राना एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 13.07.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1216 बांके ग्राम खपरैला तहसील सैपऊ के बावत अपीलान्ट के पूर्व पुरूष जाहरसिंह एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा खसरा नम्बर 1216 बांके ग्राम खपरैला में हुये आवंटन को निरस्त कराने बावत अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के यहॉ अपील उनवानी प्रकरण जहारसिंह बनाम नेत्रपाल प्रकरण संख्या 13/16 विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 9.11.2010 को विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

की यथा स्थिति बनाये रखने बावत स्थगन आदेश पारित किया है जो आज भी प्रभावी है। अधीनस्थ अधिकारी रैस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या–2 को अवैध लाभ पहुचाने की नीयत से स्थगन आदेश के प्रभाव में रहते हुये नामान्तकरण संख्या–33 को यथाबत रखे जाने बावत आदेश दिनांक 17.12.2019 को पारित किया है जिससे असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश का अंकन कार्यालय तहसील में होते हुये भी तथा स्थगन आदेश प्रभाव मे रहते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से वाहर जाकर रैस्पोडेन्ट संख्या–2 को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जो कि न्यायालय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तारीखी 17.12.2019 बावत नामान्तकरण संख्या 33 बॉके ग्राम खपरैला तहसील सैपऊ मंसूख फरमाया जावे।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 33 बॉके ग्राम खपरैला, नकल आदेशिका तारीखी 9.11.10 से 22.11.2016 उनवानी जाहरसिंह बनाम नेत्रपाल, न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर नकल खसरा परिवर्तनशील पी–14 बावत आराजी खसरा नम्बर 1216 ग्राम खपरैला तहसील सैपऊ पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा उपस्थित हुये तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया, पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन आदेश के विरूद्व मूल रूप से जो अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के यहॉ पेश की थी वह वर्तमान में स्थानान्तरण होकर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ विचारीधन है और विवादित आराजी पर स्थगन आदेश जो दिनांक 9.11.2010 को जारी हुआ है जिसमें रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश है जो आज भी प्रभावी है। स्थगन आदेश प्रभाव मे रहते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अवैध

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से वाहर जाकर रैस्पोडेन्ट संख्या–2 को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के द्वारा कोई वहस नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में कथन किया कि रैस्पोडेन्ट बावूलाल को विवादित आराजी 27.5.1989 को आवंटित की गई। आवंटन के आधार पर बावूलाल को गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या–33 खोला गया। अपीलान्ट ने एक ओर आवंटन के विपरीत अपील प्रस्तुत कर रखी है दूसरी ओर नामान्तकरण के विपरीत न्यायालय एडीएम धौलपुर में अपील प्रस्तुत की थी। अपीलान्ट की अपील न्यायालय एडीएम धौलपुर से निरस्त की गई थी जिसके विपरीत अपीलान्ट ने अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर में प्रस्तुत की थी जो स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हुये नामान्तकरण संख्या–33 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट ने निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की जो रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित हो गई और रेस्पोडेन्ट के हक में खोले गये नामान्तकरण को यथावत कायम रखे जाने का निर्णय हुआ। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के मुताविक पुनः नामान्तकरण संख्या–33 रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण को विधि विपरीत नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी है कि जिस आवंटन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया है वह आवंटन आज भी प्रभावी है ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या–33 को विधि विपरीत नहीं माना जा सकता। अतः अपीलान्ट के अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि आवंटन आदेश के विरूद्व विचारीधन अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा विवादित आराजी पर स्थगन आदेश प्रभाव मे रहते हुये अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो शून्य है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नकल अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 33 का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर होता है कि रैस्पोडेन्ट बावूलाल को विवादित आराजी 27.5.1989 को आवंटित की गई। आवंटन के आधार पर बावूलाल को गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या–33 खोला गया। उक्त नामान्तकरण के विपरीत न्यायालय एडीएम धौलपुर में अपील प्रस्तुत की थी।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपीलान्ट की अपील न्यायालय एडीएम धौलपुर से निरस्त की गई थी जिसके विपरीत अपीलान्ट ने अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर में प्रस्तुत की थी जो स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हुये नामान्तकरण संख्या–33 को निरस्त करने का आदेश दिनांक 10.1.2012 पारित किया गया तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट ने निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की जो रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित होकर रेस्पोडेन्ट के हक में खोले गये नामान्तकरण को यथावत कायम रखे जाने का निर्णय हुआ। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के मुताविक पुनः नामान्तकरण संख्या–33 रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण को विधि विपरीत नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी है कि जिस आवंटन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया है वह आवंटन आज भी प्रभावी है। अतः हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।अपीलान्ट, विचारीधन अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा विवादित आराजी पर स्थगन आदेश प्रभावी होना कहते है, अपीलान्ट स्थगन आदेश के उल्लधंन के लिए वैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते है। विचाराधीन अपील का निर्णय होने पर तदनुसार नामान्तकरण भी परिवर्तित हो सकेगा। नामान्तकरण न्यायालय के निर्णय अनुसार अपेक्षित होता है, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना में किऐ गऐ नामान्तकरण आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर के जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर